भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3877

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

26 आषाढ़, 1941 (शक)

डाटा सुरक्षा कानून के अधिनियमन में विलम्ब

3877. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाटा सुरक्षा और निजता संबंधी कानून का एक प्रारूप तैयार करने के लिए सरकार को एक दशक से अधिक समय लगा है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या गत दशक में डाटा सुरक्षा और निजता का मुद्दा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में हस्तांतरित होता रहा है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में डाटा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गठित समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) क्या उक्त सिफारिशें आधार मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : निजता और डाटा संरक्षण से संबंधित मुद्दे पर एमईआईटीवाई द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई है। आईटी अधिनिमय एसपीडीआई नियमावली - 2011 में व्यक्ति विशेष की निजता की सुरक्षा पर विशिष्ट प्रावधान हैं। वर्ष 2012 में योजना आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए.पी शाह की अध्यक्षता में निजता पर विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया। इसके बाद न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के.एस पुट्टास्वामी द्वारा आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज किया गया। जुलाई 2017 में सरकार ने भारत के लिए डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी.एन श्रीकृष्णा के द्वारा की गई। ये निर्धारित करते हुए कि निजता संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, अगस्त, 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पुट्टास्वामी मामले में निजता पर अपना फैसला दिया। जुलाई, 2018 में न्यायाधीश श्रीकृष्णा समिति ने निजी डाटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) : पीडीपी विधेयक के मसौदा के साथ-साथ समिति की रिपोर्ट https://www.meity.gov.in/data-protection-framework पर उपलब्ध है।

(घ) : उपरोक्त कथित मामले में कार्यवाही के दौरान माननीय न्यायालय ने डाटा सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन पर ध्यान दिया। समिति ने निजता के फैसले में माननीय न्यायालय के अवलोकनों का भी अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप है।

******